

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र कपूरडी
प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

शेरसिंह पुत्र दुर्गाराम जाति-खारवाल,
निवासी-21/624 चौपासनी हाउसिंग
बोर्ड जोधपुर तहसील एवं जिला
जोधपुर।

1. सुनिल परिहार निवासी
ई-27 मरुधर इण्डस्ट्रीज
एरिया द्वितीय फेस बासनी
जोधपुर तहसील व जिला
जोधपुर।
2. श्रीराम राठौड़ पुत्र
भंवरलाल जाति-खारवाल
निवासी-इन्द्राकोलोनी,
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-75/2021 दिनांक-07.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कपूरडी पटवार हल्का कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर
के खेत खसरा नम्बर 820/2 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 828/2 रकबा 2.10
बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थपित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार
बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व
प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख
मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नही करने बाबत
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की
उपरिस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार
पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 07/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6551-6554

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी
अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपूरडी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड
उपरिस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी शेरसिंह पुत्र दुर्गाराम जाति-खारवाल, निवासी 21/624 चौपासनी
हाउसिंग बोर्ड, तहसील व जिला जोधपुर।
4. विप्रार्थी सुनिल परिहार निवासी ई-27 मरुधर इण्डस्ट्रीज, एरिया द्वितीय फेस
बासनी तहसील व जिला जोधपुर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर